सं. 15 (2) F-C XV/FCD/2020-25

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय,

व्यय विभाग

(वित्त आयोग प्रभाग

. . . .

11वां ब्लॉक, 5वीं मंजिल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003
दिनांक:-01/06/2020

सेवा में

मुख्य सचिव,
(*सभी राज्य सरकारें*)

विषय:- पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) की रिपोर्ट के अध्याय 5 में निहित स्थानीय निकाय अनुदानों पर सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के बारे में

महोदय,

पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) की अवार्ड अवधि 2021-22 के लिए सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी करना भी शामिल है।

2. इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करने और उनके उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(डॉ. भारतेंदु कुमार सिंह)
निदेशक (एफसीडी)
24360647 (का.)

प्रति:-
प्रधान सचिव/सचिव (वित्त),
सभी राज्य सरकारें

सं. 15 (2) एफसी-XV/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)
. . . .

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) रिपोर्ट के अध्याय 5 (स्थानीय निकाय अनुदान) में निहित ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) अनुदान पर सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश।

<u>परिचय</u>

1. पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) का गठन राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर, 2017 को किया गया था और इसे अन्य मामलों के साथ-साथ वर्ष 2020-25 के दौरान पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनूपूर्ति के लिए राज्यों की समेकित निधियों को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। इसके बाद, आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया था, एक वर्ष 2020-21 के लिए और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 को कवर करते हुए अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति को 5 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की।

2. केंद्र सरकार ने 31-01-2020 को वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

<u>अनुशंसित अनुदानः-</u>

3. पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने अन्य बातों के साथ-साथ अठाईस राज्यों के लिए स्थानीय निकायों हेतु 90,000 करोड़ रुपये की कुल अनुदान राशि आकलित की है। इस राशि में से, आयोग ने आरएलबी के लिए 2020-21 हेतु 60,750 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है। अनुशंसित अनुदान का 50% बुनियादी अनुदान (अनाबद्ध) होगा और शेष 50% आबद्ध अनुदान होगा। **आरएलबी अनुदान का राज्य-वार आवंटन अनुलग्नक-I** में दिया गया है। सभी इकाइयों के लिए अनुदान का चरण-वार वितरण और उसे जारी/उपयोग आदि के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली इस प्रकार है:-

चरण- I:- राज्यों को पैरा 5.3(ii) और (v) में दिए गए निर्देशों के अनुसार **पंचायतों के सभी स्तरों की पारस्परिक हिस्सेदारी** परिकलित करनी चाहिए और **अंतरा-स्तर वितरण** (प्रत्येक स्तर/टीयर के भीतर) पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 5 के पैरा 5.3(vi) में दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्यभर में संबंधित इकाइयों के मध्य करना चाहिए।

चरण-II:- राज्यों को अपने भीतर आने वाले सभी अपवर्जित **क्षेत्रों (जहाँ संविधान का भाग IX और IXA लागू नहीं होता है)** के लिए अनुदान का आवंटन **जनसंख्या के लिए 90% (2011 की जनगणना के अनुसार) और क्षेत्र के लिए 10%** के भारांक के आधार पर करना चाहिए।

चरण-III:- राज्य सरकारों (राज्य वित्त विभाग) को व्यय विभाग से प्राप्त आरएलबी अनुदानों की प्रत्येक किस्त को संघ सरकार से प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर **चरण- I** और चरण**-II** में निर्धारित हिस्से के अनुसार अपने नोडल विभाग के माध्यम से बिना किसी कटौती के सभी संबंधित संस्थाओं [जीपी/बीपी/जिला परिषद और अपवर्जित क्षेत्र, यदि कोई हो] को हस्तांतरित करना चाहिए। दस कार्य दिवसों से अधिक की देरी के लिए राज्य

सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज के साथ अनुदान जारी करने होंगे।

<u>अनुदान जारी करने के तौर-तरीके:-</u>

4. **बुनियादी अनुदानः-** बुनियादी अनुदान अर्थात कुल आवंटन का 50% वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) द्वारा निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-II)** में अनुदान हस्तांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार से सिफारिश करने के बाद दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

5. **आबद्ध अनुदानः-** पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) द्वारा दो किस्तों में आबद्ध अनुदान अर्थात आवंटन का 50% जारी किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और पंचायती राज मंत्रालय अनुदान जारी करने की सिफारिश से पहले निम्नलिखित का मूल्यांकन करेंगे;

(क) खुले में शौच से मुक्त स्थानीय निकाय की स्थिति को कायम रखना।

(ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

(ग) वेबसाइट पर जीपीडीपी और 15वें वित्त आयोग की निधियों के उपयोग के बारे में विवरण अपलोड करना।

(घ) कोई अन्य शर्त जो जल शक्ति मंत्रालय आबद्ध अनुदान के घोषित उद्देश्यों के संबंध में उपयुक्त समझे।

(वर्ष 2021-22 के लिए पात्रता का आकलन वर्ष 2020-21 के दौरान परिणामों पर आधारित होगा। अवार्ड वर्ष की शेष अवधि के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी)।

<u>पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान का उपयोग</u>

6. **बुनियादी अनुदानः-** बुनियादी अनुदान अनाबद्ध हैं जिनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा **वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर,** स्थान-विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है।

7. **आबद्ध अनुदानः-** आबद्ध अनुदान का उपयोग मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जैसे कि (क) 'स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने के लिए, और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए। स्थानीय निकाय, जहाँ तक संभव हो, इन **आबद्ध अनुदानों** में से प्रत्येक को इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए **आधा-आधा** हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालाँकि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी में निहित जरूरतों को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए निधि का उपयोग कर सकता है।

<u>निगरानी एवं समवर्ती मूल्यांकन</u>

8. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, आरएलबी के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

<u>पुरस्कार अवधि के शेष वर्षों के लिए आरएलबी अनुदान का आवंटन</u>

9. अवार्ड अवधि की शेष अवधि के लिए राज्य-वार आवंटन की सूचना सभी राज्यों को आने वाले समय पर दी जाएगी।

*_*_*_*_*

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	बुनियादी अनुदान	आबद्ध अनुदान	कुल आरएलबी अनुदान
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	1312.5	1312.5	2625.00
2	अरुणाचल प्रदेश	115.5	115.5	231.00
3	असम	802	802	1604.00
4	बिहार	2509	2509	5018.00
5	छत्तीसगढ़	727	727	1454.00
6	गोवा	37.5	37.5	75.00
7	गुजरात	1597.5	1597.5	3195.00
8	हरियाणा	632	632	1264.00
9	हिमाचल प्रदेश	214.5	214.5	429.00
10	झारखंड	844.5	844.5	1689.00
11	कर्नाटक	1608.5	1608.5	3217.00
12	केरल	814	814	1628.00
13	मध्य प्रदेश	1992	1992	3984.00
14	महाराष्ट्र	2913.5	2913.5	5827.00
15	मणिपुर	88.5	88.5	177.00
16	मेघालय	91	91	182.00
17	मिजोरम	46.5	46.5	93.00
18	नागालैंड	62.5	62.5	125.00
19	ओडिशा	1129	1129	2258.00
20	पंजाब	694	694	1388.00
21	राजस्थान	1931	1931	3862.00
22	सिक्किम	21	21	42.00
23	तमिलनाडु	1803.5	1803.5	3607.00
24	तेलंगाना	923.5	923.5	1847.00
25	त्रिपुरा	95.5	95.5	191.00
26	उत्तर प्रदेश	4876	4876	9752.00
27	उत्तराखंड	287	287	574.00
28	पश्चिम बंगाल	2206	2206	4412.00
कुल		**30375.00**	**30375.00**	**60750.00**

अनुलग्नक-II

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड अवधि 2020-2025 के दौरान अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त अनुदान हेतु अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र।

राज्य का नाम:

I.	सामान्य क्षेत्रों के लिए	कुल सं.	जीपी		विधिवत निर्वाचित निकाय	जीपी	
			बीपी			बीपी	
			जेडपी			जेडपी	
2.	गैर-भाग IX क्षेत्र (उक्त स्वायत्त निकायों के नाम और संख्या दर्शाएं)				सं.	नाम	
3.	प्राप्त बुनियादी अनुदान/आबद्ध अनुदान का विवरण:	वर्ष	किस्त		राशि (लाख रु. में)	प्राप्ति की तिथि	
4.	हस्तांतरित बुनियादी अनुदान/आबद्ध अनुदान का विवरण*:	वर्ष	किस्त		राशि (लाख रु. में)	हस्तांतरण की तिथि	विलंब के दिनों की संख्या	विलंब होने पर, हस्तांतरित ब्याज राशि (ब्याज दर के साथ)
5.	क्या राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशें उपलब्ध हैं	हाँ/नहीं			यदि **हाँ**, तो क्या अनुदान जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार या एसएफसी अनुशंसा के अनुसार वितरित किया गया था।		

** जो भी लागू न हो उसे काट दें।*

यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है/प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए यह प्रदान किए गए हैं और यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसे सूचित किया जाएगा।

सचिव (नोडल विभाग) की मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित:
वित्त सचिव की मुहर सहित हस्ताक्षर

******